सचिका सं0–7 / विविध–28–07 / 2026–27........280(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–10/07/2026

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा की आपूर्ति तथा मशीन उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिये बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को दवा भंडार मद में राशि रू0 6,93,00,000/- तथा मशीने एवं उपस्कर–कार्यालय मद में राशि रू0 1,14,50,000/- अर्थात कुल राशि रू0 8,07,50,000/- (रुपये आठ करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019 के निदेशानुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत दवा भण्डार मद में बजट उपबंध का (न्यूनतम) 80 प्रतिशत उपबंध राशि सीधे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को एवं शेष 20 प्रतिशत राशि (अधिकतम) संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को आवंटित किया जाना निर्दिष्ट है। तद्नुसार दवा भंडार मद के उपबंधित कुल राशि रू0 50,00,00,000/- तथा मशीने एवं उपस्कर–कार्यालय मद में राशि रू0 5,00,00,000/- में से कुल राशि रू0 8,07,50,000/- (रुपये आठ करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को दिया जाना है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा की आपूर्ति तथा मशीन उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिये बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को दवा भंडार मद में राशि रू0 6,93,00,000/- तथा मशीने एवं उपस्कर–कार्यालय मद में राशि रू0 1,14,50,000/- अर्थात कुल राशि रू0 8,07,50,000/- (रुपये आठ करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड– 20-2210031100001 अंतर्गत (21–02) दवा भंडार मद तथा (52–01) मशीने एवं उपस्कर–कार्यालय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PBBPLA007 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 तथा लेजर ID संख्या– में उपलब्ध करायेंगे ।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (**Plus-Minus Memoranda**) माहवार तथा एतद्संबंधी सुसंगत भाउचर्स /उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/ विविध–28–07/2026–27 के पृष्ठ–04/टि0 में प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.7.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

संचिका सं0–7/ विविध–28–07/2026–27- 280(78)/ पटना, दिनांक– 10/07/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, स्वास्थ्य भवन पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन/ कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07/ प्रशाखा के संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.7.26.

सरकार के अपर सचिव।